38–(08)–08–2014

पटना में दिनांक–01 जुलाई, 2014 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

	कृषि विभाग	
1.	कृषि रोड मैप के अधीन कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2014–15 में 18553.45 लाख रूपये (एक अरब पचासी करोड़ तिरपन लाख पैंतालिस हजार रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।	1. स्वीकृत।
	कृषि विभाग	
2.	जैविक खेती परियोजना के लिए वर्ष 2014–15 में 16540.47 लाख रूपये (एक अरब पैंसठ करोड़ चालीस लाख सैंतालिस हजार रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।	2. स्वीकृत।
	कृषि विभाग	
3.	राज्य सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपर बोनस राशि की स्वीकृति के फलस्वरूप धान बीज उत्पादक किसानों को बोनस का लाभ देने हेतु बिहार राज्य बीज निगम को 13544317 रूपये (एक करोड़, पैंतीस लाख, चौवालीस हजार तीन सौ सतरह रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति।	3. स्वीकृत।
	जल संसाधन विभाग	
4.	जल संसाधन विभाग (नोडल विभाग), विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा के आधार पर नियोजित 45 कनीय अभियंता (याँत्रिक) का अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजित करने के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	योजना एवं विकास विभाग	
5.	मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति के संबंध में।	5. स्वीकृत।
	वित्त विभाग	
6.	संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन" एवं "सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" को विधान मंडल के आगामी सत्र में दिनांक–15 जुलाई, 2014 को सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में।	6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के शिशु रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक/कार्यकारी सह प्राध्यापक को अपुनरीक्षित वेतनमान 10000–15200/–रू० एवं पुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100/–ग्रेड पे० 6600/–के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सह प्राध्यापक के अपुनरीक्षित वेतनमान 12000– 16500/–एवं पुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100/– ग्रेड पे० 7600/–के पद पर कार्यकारी सह–प्राध्यापक को भूतलक्षी प्रभाव से एवं सहायक प्राध्यापक को योगदान की तिथि से नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव। — 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वास्थ्य विभाग हेतु स्वीकृत उद्व्यय के अंतर्गत रू० 4,60,00,000/– (रूपये चार करोड़ साठ लाख) मात्र की राशि आंतरिक सामंजन कर बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर उपबंधित कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा में सुपरस्पेशलिटी विभाग के रूप में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, रेडियोथेरेपी एवं जेरियाट्रिक्स विभागों का गठन एवं इन छः विभागों के लिए विभिन्न कोटि के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक 189 पदों के सृजन के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में सुपरस्पेशलिटी विभाग के रूप में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी नेफ्रोलॉली, न्यूरोसर्जरी, रेडियोथेरेपी एवं जेरियाट्रिक्स विभागों का गठन एवं इन छः विभागों के लिए विभिन्न कोटि के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक 209 पदों के सृजन के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में सुपरस्पेशलिटी विभाग के रूप में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, रेडियाथेरेपी एवं जेरियाट्रिक्स विभागों का गठन एवं इन छः विभागों के लिए विभिन्न कोटि के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक 200 पदों के सृजन के संबंध में।

12. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

13. पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में सुपरस्पेशलिटी विभाग के रूप में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, रेडियोथेरेपी एवं जेरियाट्रिक्स विभागों का गठन एवं इन छः विभागों के लिए विभिन्न कोटि के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक 188 पदों के सृजन के संबंध में।

13. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

14. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में सुपरस्पेशलिटी विभाग के रूप में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, रेडियोथेरेपी एवं जेरियाट्रिक्स विभागों का गठन एवं इन छः विभागों के लिए विभिन्न कोटि के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक 203 पदों के सृजन के संबंध में।

14. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15. नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में 250 एम० बी०बी०एस० नामांकन क्षमता तक विस्तार हेतु एम०सी० आई० मानक के अनुरूप विभागवार अतिरिक्त कुल 556 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

15. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

16. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के फिजियोथेरापी यूनिट के लिए अतिरिक्त 10 (दस) पदों के सृजन के संबंध में।

16. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

17. अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया में सुपरस्पेशलिटी विभाग के रूप में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, रेडियोथेरेपी एवं जेरियाट्रिक्स विभागों का गठन एवं इन छः विभागों के लिए विभिन्न कोटि के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक 203 पदों के सृजन के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**

गृह (विशेष) विभाग

18. दिनांक–03.12.2013 को भागलपुर जिला के विश्वविद्यालय ओ०पी० की पुलिस जीप से घक्का लगने के कारण एक छात्र अंशुराज, पिता–श्री मनोहर यादव, ग्राम–गंगटी, थाना–धोरैया, जिला–बाँका की मृत्यु के फलस्वरूप मृतक के परिजनों को ₹ 5,00,000/–(पाँच लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

18. स्वीकृत।

वित्त विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2014–15 का बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2014 बिहार विधान सभा के समक्ष उपस्थापित करने के संबंध में।

19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा में 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता तक विस्तार हेतु एम०सी०आई० मानक के अनुरूप विभागवार अतिरिक्त कुल 550 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

20. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

21. बिहार स्वास्थ्य सेवा के पुनर्गठन के निमित्त विभिन्न कोटि के पदों की संख्या के पुनर्निधारण के साथ–साथ पद सृजन की स्वीकृति।

21. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

22. पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता तक विस्तार हेतु एम०सी०आई० मानक के अनुरूप विभागवार अतिरिक्त कुल 290 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

22. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

23. जवाहरलाल नहेरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर में 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता तक विस्तार हेतु एम०सी०आई० मानक के अनुरूप विभागवार अतिरिक्त कुल 745 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

24. श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता तक विस्तार हेतु एम०सी०आई० मानक के अनुरूप विभागवार अतिरिक्त कुल 741 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

25. अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया में 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता तक विस्तार हेतु एम०सी०आई० मानक के अनुरूप विभागवार अतिरिक्त कुल 757 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

25. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26. पूर्णिया जिलान्तर्गत अंचल–धमदाहा, मौजा–नीरपुर, थाना सं०–170, खाता सं०–826, खेसरा सं०–2471, रकबा–0.60 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म पुरानी परती भूमि 3,90,000 (तीन लाख नब्बे हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 5% का 25 गुणा अर्थात् 4,87,500 (चार लाख सतीस हजार पाँच सौ) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 8,77,500 (आठ लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ) रूपयों के भुगतान पर राजय योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लि०, पटना को स्थायी हस्तान्तरण।

26. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

27. भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती अंचल के मौजा–टुण्डवा उर्फ मुण्डवा थाना सं०–85 खाता सं०–633 खेसरा सं०–54 रकबा–0.94 एकड़, खेसरा सं०–90 रकबा–4.27 एकड़, खेसरा सं०–91 रकबा–0.61 एकड़, खेसरा सं०–92 रकबा–1.82 एकड़, खेसरा सं०–83 रकबा–0.18 एकड़, खेसरा सं०–94 रकबा–0.16 एकड़, खेसरा सं०–95 रकबा–0.76 एकड़, खेसरा सं०–106 रकबा–1.81 एकड़, खेसरा सं०–111 रकबा–0.90 एकड़ कुल रकबा–11.45 एकड़ पुरानी परती भूमि 5,49,60,000 (पाँच करोड़ उनचास लाख साठ हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 5% के 25 गुणा अर्थात् 6,87,00,000 (छः करोड़ सतासी लाख) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 12,36,60,000 (बारह करोड़ छत्तीस लाख साठ हजार) रूपये के भुगतान पर पीरपैंती थर्मल पावर की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को इस शर्त्त के साथ हस्तान्तरण कि यह भूमि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को तभी उपलब्ध करायी जायेगी जब निजी निवेशकर्त्ता के चयन के उपरान्त उनसे यह राशि वसूल कर उनके द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को उपलब्ध करायी जायेगी।

27. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28. रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर अंचल के मौजा–करूप, थाना नं०–351, खाता संख्या–220 के विभिन्न खेसरा का कुल रकबा–8.00 (आठ) एकड़ कैसरे हिन्द, भारत सरकार की भूमि, जो बिहार सरकार के दखल–कब्जे में है, केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपया टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बन्दोबस्ती के संबंध में।

28. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय पत्र संख्या–979 (6) /रा०, दिनांक–05.08.2013 (अनुलग्नक–I) सह पठित स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या–590 (6)/रा०, दिनांक–26.04. 2013 (अनुलग्नक–II) एवं स्वीकृत्यादेश ज्ञाप सं०– 558 (6)/रा०, दिनांक–17.04.2013 (अनुलग्नक– III) को निरस्त करते हुए बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड, पटना (Bihar Finance Service Housing Contruction Co-operative Society Limited, Patna) को पटना जिला के अंचल–पटना सदर के मौजा–धीराचक, थाना सं०–16 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल 11.86 एकड़ (सूची संलग्न, अनुलग्नक–IV) एवं नक्शा, अनुलग्नक –V) भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय परिपत्र संख्या –8/खा०म०प० –109 /81–38 रा०, दिनांक–08.01.82 (अनुलग्नक –VI) की कंडिका–3 (1) एवं 3 (6) को तथा बिहार खास महाल नीति, 2011 की कंडिका–19 (अनुलग्नक –VII) को एक बार के लिए शिथिल करते हुए रूपया 1.00 (एक) मात्र सांकेतिक सलामी एवं रूपया 1.00 (एक) मात्र प्रति एकड़ सांकेतिक वार्षिक लगान के भुगतान पर अनियतकालीन लीज (Perpetual Lease) पर बंदोबस्त करने के संबंध में।

29. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

30. राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल राशि₹ 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की राशि की व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

30. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

31. राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के वेतनादि एवं पूर्ववर्ती वर्षों का बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु कुल ₹ 44,00,00,000/–(चौवालीस करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 14,66,52,000/– (चौदह करोड़ छियासठ लाख बावन हजार) रूपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

31. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

32. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 1451 पुस्तकालयाध्यक्षों के चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में नियत वेतन भुगतान हेतु 19,17,00,300/–(उन्नीस करोड़ सत्रह लाख तीन सौ) रूपये एवं बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 4,02,97,600/–(चार करोड़ दो लाख संतानवे हजार छः सौ) रूपये अर्थात् कुल ₹ 23,19,97,900/–(तेइस करोड़ उन्नीस लाख संतानवे हजार नौ सौ) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 7,73,24,900/–(सात करोड़ तिहत्तर लाख चौबीस हजार नौ सौ) रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

32. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

33. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसों अर्थात कुल 1128 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के वेतनादि भुगतान हेतु कुल ₹ 3,50,00,00,000/– (तीन अरब पचास करोड़) रूपये मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल प्रथम चार माह के वेतनादि भुगतान हेतु ₹ 1,16,65,50,000/–(एक अरब सोलह करोड़ पैसठ लाख पचास हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

33. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

34. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 19254 माध्यमिक शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 2,67,22,15,000 (दो अरब सड़सठ करोड़ बाइस लाख पन्द्रह हजार) रूपये एवं विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतन भुगतान हेतु ₹ 22,48,96,000 (बाइस करोड़ अडतालीस लाख छियानवे हजार) रूपये अर्थात् कुल ₹ 2,89,71,11,000 (दो अरब नवासी करोड़ एकहत्तर लाख ग्यारह हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 96,56,07,000 (छियानवे करोड़ छप्पन लाख सात हजार) रूपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

34. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

35. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के नियत मानदेय भुगतान हेतु ₹ 15,00,00,000/– (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल चार माह के नियत मानदेय भुगतान हेतु ₹ 4,99,95,000/–(चार करोड़ निन्यानवें लाख पन्चानवें हजार) रूपये मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। 35. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

36. राज्य के 10+2 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 9004 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में नियत वेतन के भुगतान हेतु ₹ 1,27,61,90,900/– (एक अरब सताइस करोड़ एकसठ लाख नब्बे हजार नौ सौ) रूपये एवं विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 12,57,79,600/– (बारह करोड़ संतावन लाख उनासी हजार छः सौ) रूपये अर्थात् कुल ₹ 1,40,19,70,500/–(एक अरब चालीस करोड़ उननीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 46,72,43,437/–(छियालीस करोड़ बहत्तर लाख तेतालीस हजार चार सौ सैंतीस) रूपये या ₹ 46,72,43,400/–(छियालीस करोड़ बहत्तर लाख तेतालीस हजार चार सौ) रूपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 36. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

37. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 (332 + 199) संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹ 1,75,00,00,000/–(एक अरब पचहत्तर करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान में से शेष ₹ 1,55,00,00,000/–(एक अरब पचपन करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल चार माह के लिए ₹ 38,30,00,000/–(अड़तीस करोड़ तीस लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति के संबंध में। 37. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

38. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 429 कोटि के 86 प्रतिकूल संस्कृत विद्यालयों में सी०डब्लू०जे०सी० सं० 1727/2009 में दिनांक–15.11.2011 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–287 दिनांक–05.03.2012 द्वारा जांचोपरान्त सही पाये गये कुल 15 विद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों का दिनांक–15.06.2002 से बकाया वेतनादि का अद्यतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल अनुमानित ₹ 20,00,00,000/– (बीस करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं स्वीकृति के संबंध में। 38. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

39. अवमाननावाद संख्या– 88–89/13 बिहार राज्य राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ बनाम अशोक कुमार सिन्हा एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–07.05.14 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार शिक्षा सेवा संवर्गीय नियमावली, 2014 में संशोधन के प्रस्ताव एवं अन्य बिन्दुओं पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

39. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

40. राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत गठित राज्य प्रशिक्षण परिषद् के सचिवालय हेतु विभिन्न प्रकार के कुल 10 (दस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

40. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

41. बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली–2006 के नियम 5 क एवं 6 में संशोधन के संबंध में।

41. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

42. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–36 की उपधारा 1 (ख) (i) के आलोक में नगर कार्यपालक पदाधिकारी का स्वतंत्र संवर्ग गठित होने के फलस्वरूप 103 राजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति।

42. स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

43. बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम–14 में संशोधन के संबंध में।

43. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

44. बिहार राज्य योजना पर्षद् के अंतर्गत भा०प्र०से० के शीर्ष वेतनमान (80,000/–नियत) में मुख्य सलाहकार के पद का सृजन के संबंध में।

44. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

45. बिहार राज्य योजना पर्षद् के अधीन सृजित 7 परामर्शी के पदों में से 2 परामर्शी के पदों को मुख्य सचिव एवं समकक्ष के वेतनमान में उत्क्रमण एवं मुख्य परामर्शी पदनामित करने के संबंध में।

45. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

46. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रूपये 30000.00 लाख (रूपये तीन अरब) मात्र व्यय की स्वीकृति तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ावर्ग के छात्र/छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति का भुगतान एवं उक्त दर पर ही वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ावर्ग के नवीनीकरण आवेदकों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का प्रस्ताव। वित्तीय वर्ष 2013–14 में मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है।

46. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

47. राज्य के अंतर्गत योजना मद से कार्यरत 27 (सत्ताईस) परिवार न्यायालय एवं 1 (एक) अतिरिक्त परिवार न्यायालय को पद सहित गैर योजना मद अंतर्गत स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

47. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

48. माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को आवश्यक निजी कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

48. **स्वीकृत।**

अन्यान्य
योजना एवं विकास विभाग

49. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन के लिए मंत्रिपरिषद् ने माननीय मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया।

49. **स्वीकृत।**